रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 14, 1971/चैत्र 24, 1893

No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 14, 1971/CHAITRA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th April 1971

SUBJECT:—*Licensing conditions for U.K./India Capital Investment Loan, 1969 (£2 million segment for the private sector and £4 million segment for the public sector).*

No. 37-ITC(PN)/71.—The terms and conditions governing the issuance of Import licences under the U.K./India Capital Investment Loan, 1969 £2 million segment for the private sector and £4 million segment for the public sector) as given in the Appendix to this Public Notice are notified for the information of the trade.

APPENDIX

Licensing Conditions for U.K./India Capital Investment Loan, 1969

I. General Conditions

(1) The licence will bear the superscription—"U.K./India Capital Investment Loan 1969", and the further indication whether it relates to the £ 2 million private sector segment or the £ 4 million public sector segment (the former in cases where the licence is issued in favour of a private sector unit on the basis of clearances accorded by the Capital Goods Committee, and the latter in cases where the licence is issued on the basis of releases of foreign exchange, whether through the C. G. Committee or otherwise, in favour of public sector units or departmental undertakings of Central/State Governments).

(2) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except U.K. bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's Commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

(3) The licence will be issued with an initial validity period of 12 months. Firm orders on CIF or C&F basis (FOB or FAS if so desired by Government Departments or public sector undertakings) must be placed within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authority during the 5th month giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period for ordering as necessary. Such requests will be considered on merits by the C.C.I.&E., in consultation with the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) where necessary. ***(It should be noted that unless ordering is completed within 4 months or the extended period allowed by the licensing authority in any case, the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credits, or deposit of rupee equivalents).***

(4) All payments must be completed within one month after expiry of licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facility of any kind will be permitted.

II. Special points to be incorporated in the orders/contracts or otherwise kept in view.

(1) While placing orders/contracts which must be placed *only on suppliers in* **the U.K. (which expression incluudes the Channel Islands and the Isle of Man),** the Licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or will be wholly or mainly produced or manufactured in the U.K. when the contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods, it must similarly be ensured by a suitable provision therein that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K. (It should be noted that the supplier/contractor will have to sign a Contract Certificate as provided in Section III below, indicating the non-U.K. content, if any, of the goods to be supplied, or in the case of chemicals and allied products, declare them to be of U.K. origin). If the non-U.K. element is likely to exceed 10 per cent of the F.O.B. value of the contract, this should be brought to the notice of the Department of Economic Affairs (Senior Accounts Officer, Office of the Controller of Aid Accounts, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street. New Delhi), particularly in those cases in which the conntracts are upto £ 10,000 in value and as such do not need the prior approval of the U.K. Government; and firm commitments should be entered into only if the Department of Economic Affairs agree.

(2) ***In the case of contracts of value exceeding*** **£10,000, a clause should specifically** be included in the contract to the effect that the contract is subject to and will become effective only on approval by the U.K. Government.

(3) The documentation requirements mentioned in Sections III and V below and the payment procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

III. *Contract Acceptances Notification of contracts and amendments there: A. Cases where the contracts are for amounts exceeding* £10,000.

(1) Within a fortnight of placing of orders, the licensee should forward four copies of the contract or notification of contract (in the form attached as Annexure (I) accompanied by five copies of the "Contract Certificate" [in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) as is appropriate] duly signed by the supplier, to the Senior Accounts Officer, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

(*N.B.—As no payments can be made unless the contract is duly approved by the U.K. Government, it is most imperative for the licensee to ensure that copies of contract/notification of contract along with supplies contract certificates are forwarded to the Ministry of Finance in the manner stated above at the earliest*).

(2) While forwarding the above documents to the Ministry of Finance, it must be ensured by the licensee that the number and date of the import licence and the name of the credit are clearly noted in the documents.

(3) The Ministry of Finance will arrange through the Chief Accounting Officer, High Commission of India London to file a set of the documents with the U.K. Government for obtaining their acceptance to the payments under the contract being made out of U.K. Credit. As soon as possible after the acceptance or non-acceptance of the contract by the U.K. Government is obtained, the U.K. supplier as well as the licensee will be informed of the same direct by the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London under advice to the Ministry of Finance.

(4) If at any time a contract (being a contract in respect of which, acceptance of U.K. Government has been obtained or is pending) is amended, or if liability is to be incurred thereunder to a greater amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should *promptly* forward the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to contracts and revised "Contract Certificates" to the Ministry of Finance in order to enable them to notify the same to the U.K. Government for obtaining their acceptance. As soon as acceptance to an amendment to the contract/order is obtained from the U.K. Government, the licensee and the Ministry of Finance will be notified by the High Commission of India, London in the same manner as for the original contract.

(5) If, in any case, the contract is with the Indian Agent of the foreign supplier, it should indicate the name of the U.K. supplier to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract, which alone will qualify for payment under the loan. Copies of such contracts (or of contracts placed by Indian Agents with U.K. Suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

B. Cases where the contracts are of a vlue upto £10,000

The U.K. Government's approval is not required for such contracts. Within a fortnight of placing of orders, the licensee should send four copies of the contract or Notification of Contract (Annexure I), accompanied by five copies of the 'Contract Certificate' [in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) as is appropriate] duly signed by the supplier; to the Senior Accounts Officer Economic Aid Accounts Branch, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

IV. *Payment to U.K. Suppliers—Letters of Credit Procedure*

(1) A. Where the value of the contract is upto £ 10,000 (and therefore the approval of the U.K. Government to the contract is not required), the licensee should apply to the Senior Accounts Officer, Economic Aid Accounts Branch, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi for a *letter of authorisation* to any of the Exchange Banks in India for opening a letter of credit in favour of the U.K. suppliers with one of the correspondent banks in the U.K.

B. *Where the value of the contract exceed* £10,000, the licensee should approach the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch), New Delhi for a *letter of authorisation* in the above manner *only after the acceptance of the contract by the U.K. Government* has been intimated by the High Commission of India, London.

In both the cases 'A' and 'B' the request for the letter of authorisation should be in the form given in Annexure III and should be accompanied by a Bank Guarantee (in the form given in Annexure IV) for the full value of the import licence plus 1 per cent, obtained from an authorised dealer in foreign exchange in India. The application for the letter of authorisation should be addressed by the licensee to the Senior Accounts Officer, Economic Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

NOTE.—No Bank Guarantee is required from public sector projects. In such cases the letters of credit will be opened through any branch of the State Bank of India.

(2) If the application is found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, will issue an authorisation for the requisite amount to the importer and the Indian exchange bank concerned. The Ministry of Finance will also advise the U.K. Bank concerned and the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London suitably. The advice to the U.K. Bank will, however, be sent to the Indian exchange bank concerned alongwith their copy of the authorisation letter, who should then transmit it to the U.K. Bank while opening the letter of credit.

(3) The Letter of Credit should be opened within three weeks from the date of issue of the authorisation (under intimation to the Ministry of Finance) failing which the authirisation will lapse. The Letter of Credit should detail the conditions to which the licence is subject; should provide for payments to the suppliers on the submission of all the documents detailed in Section V below; should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment; and should be opened subject to the condition that the correspondent banks in the U.K. would, after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement therefor from the State Bank of India, London, through the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening of letter of credit must accord completely with the authorisation issued by the Ministry of Finance There should be no discrepancies in any respect.

(4) The Letter of Credit should be clearly marked with the Loan title and with the U.K. authorities' Contract Approval number, in cases where such approval is required.

V. *Documentation*

(1) The importer is responsible to see that the U.K. Supplier completes and submits the documents detailed below to the U.K. Bank at the time of claiming payment for the goods supplied:

(i) *The original* invoice, with *four* photo copies or *copies* by any other process. (The invoice should show the name and address of the importer; quantity and detailed description of each item supplied; sales price for each item reflecting all trade discounts; the basis of delivery (F.O.B., C&F, C.I.F. and FAS); and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.

(ii) One copy (or photostat) of ocean or charter-party bill of lading or airway bill or parcel post receipt. (The Bill of Lading shall indicate the carrier's statement of charges in whatsoever currency it is paid.)

(iii) *Four* copies of the payment certificate in the form given in Annexure V [not required in respect of contracts for which a contract certificate (Chemicals) in the form given in Annexure II(B) has been provided]. For this purpose, *five* blank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment.

Each document must show the loan number, details of import licence, and if possible, the particulars of the Letter of Credit authorisation issued by the Ministry of Finance.

(2) While opening Letters of Credit the authorised exchange bank in India will, on behalf of the importer, take care to incorporate necessary conditions in the Letter of Credit to ensure that the above requirements of documentation are noted and complied with by the U.K. Suppliers.

(3) After payment is made to the U.K. Supplier, the correspondent Bank in the U.K. will send by *air mail* the original negotiable set of documents to the Indian bank concerned. (The Indian Bank will] *remit* the *bank charges* to the U.K. Government and recover the same from the Importer). Simultaneously the U.K. Bank will claim the reimbursement of the amounts paid by it to the suppliers from the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London and will submit for this purpose invoices received from the suppliers and payment certificates as in Annexure V where required. The Chief Accounting Officer, High Commission of India will arrange payments to the U.K. Bank through the State Bank of India, London.

VI. *Indian bank's responsibilities for rupees deposits.*

(1) Within 7 days of the receipt of the advice of payment along with shipping documents from the U.K. correspondent bank, the Indian Bank concerned shall collect from the importer the cost of import in rupees at the rate of Rs 18.18 per £ 1.00 [see para (5) below] plus interest charges at 6 per cent per annum for the period from the date of payment to U.K. suppliers by the U.K. Bank to the date of deposit of the rupee equivalent.

(2) The amount referred to above should be deposited by the Indian Bank to the credit of the Government of India in the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi or if this not feasible should be remitted by means of Demand Draft drawn on and in favour of the State Bank of India, This Hazari Branch, Delhi Thereafter, the treasury challan evidencing the deposit should be sent *by registered post* to the Senior Accounts Officer, Ministry of Finance/Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi indicating references to and enclosing copies of the invoices/shipping documents and the authorisation of that Department to which the transaction relates. The Indian Bank concerned shall also arrange to *deposit in the same manner* such additional amounts on account of service charges as may be demanded by the Government of India, within 7 days after such demand. The licensee should also fill in in duplicate the Form 'S' incorporated in Annexure II of the Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August 1968 and present the same to their Bank while arranging for rupee deposits in accordance with the procedure prescribed in the said Public Notice.

(3) The amounts including interest charges to be deposited to the Credit of the Government of India shall be creditable under the Head of Account "Section T—Deposits and Advances—Part II—Deposits—Deposits not bearing interest—(C)—Other Deposits Accounts—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad from U.K. —Purchases under U K Loan—Purchase under the U.K./India capital Investment Loan, 1969" and the Accountant General, Central Revenues, New Delhi shall be shown as the Accounts Officer who will adjust these credits.

(4) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Letter of Credit authorisation issued by the Ministry of Finance are fulfilled, the Indian Bank concerned can apply to the Senior Accounts Officer, Economic Aid Accounts Branch, Ministry of Finance Department of Economic Affairs for the release of the Bank Guarantee. The application must be made by the Indian Bank concerned (not by the importers) and must be in the form laid down in Annexure VI.

(5) ***The rate of exchange viz. £1=Rs. 18.18 mentioned above is the prevailing "composite' rate of exchange and any charge in the same will be notified as and when decided upon by the Government of India.***

VII. *Reports on the utilisation of the import licence*

A monthly report, in the form attached in Annexure VII showing the utilisation status of the license, should be furnished on the 15th of each month to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, New Delhi with a copy to the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) Foreign Exhange Credit Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

VIII. *Miscellaneous instructions*

(1) *Refunds from U.K. Suppliers.*

If any money is received by the licensee from the U.K. suppliers or a guarantor (insurance company etc.) as a refund or in settlement of insurance claim or otherwise such amounts should be refunded by the supplier to the concerned correspondent bank in the U.K. (from which the payment was initially made to the suppliers) *with instructions to refund the amount immediately, in turn, to C.A.O. High Commission of India, London* for crediting the loan Account. After the loan amount is so credited, an equivalent amount in rupees will be arranged to be refunded to the importer by the Ministry of Finance, upon receipt of claim therefor from the importer. If any refund is received after the close of the loan, the same will have to be made by the supplier direct to the importer.

As and when any such refund is received, a report thereof should also be made to the Ministry of Finance with a copy to the Ministry of Industrial Development, Internal Trade, and Company Affairs (Department of Industrial Development) Foreign Exchange Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

(2) *Notifying Suppliers of Special Conditions.*

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

(3) *Disputes.*

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

(4) *Future Instructions*

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement

(5) *Breach or Violation.*

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

IX. *List of Annexures by Titles*

Annexure I	:	Notification of Contract.
Annexure II	:	Contract Certificate.
Annexure II(B)	:	Contract Certificate (Chemicals).
Annexure III	:	Form of Application for Letter of Credit Authorisation.
Annexure IV	:	Form of Bank Guarantee.
Annexure V	:	Payment Certificate.
Annexure VI	:	Form of application for release of Bank Guarantee.
Annexure VII	:	Monthly Report on ordering and utilisation of import licence

ANNEXURE I

NOTIFICATION OF CONTRACT

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1969

To: The Government of the United Kingdom

Notification of Contract No.....

The following are details of a contract under which it is proposed that payment shall be made in accordance with the terms and conditions of the above loan.

1. Name and address of
 United Kingdom Contractor:
 2. Date of Contract;
3. Name of Indian Purchaser:

4. Short description of goods:
and/or works or services:
5. Value of Contract:
6. Terms of Payments.

Signed on behalf of the
Government of India

Date.....

ANNEXURE II

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1969

REQN. No: REVISED

O.D.M.
ACCEPTANCE
No.

CONTRACT CERTIFICATE
(FOR CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS USE ALTERNATIVE 'CERTIFICATE OVERLEAF)

Particulars of Contract

1. Date of Contract.....2. Contract No.....

3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....

.....
.....
.....
.....

If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate.

4. Total contract price payable by purchaser (state CIF. C& F or FOB).

£.....

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED.

If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer.

5. Estimated per cent of the FOB value of the goods nor originating in the United Kingdom, but purchased by the contractor directly from abroad, i.e. per cent of imported raw materials or components used to manufacture.

(a) per cent FOB value

(b) Description of items and brief specifications

6. If any raw material or components used originated from abroad, e.g. copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc., but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify:

(a) per cent FOB Value

(b) Description of items and brief specifications.....
IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED, THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED.

7. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by:—

(a) Your firm (site engineer's charges, etc.).....

(b) Local contractor.....

8. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraph 5, 6 or 7 above....

.....

.....

.....

9. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the contractor named below and have the authority to sign this certificate I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the Contractor other than those specified in paragraphs 5, 6, 7 and 8 above.

NOTE:—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man

Signed———————

Position held———————

Name and Address of Contractor———————

CONTRACTORS SHOULD NOTE THAT GOODS SHOULD NOT BE MANUFACTURED UNTIL ACCEPTANCE HAS BEEN NOTIFIED

(not applicable to contracts of a values of £10,000) Date———————

FOR OFFICIAL USE ONLY

Name or number of Project———————

PAYMENT

Amount committed	Date of entry	Acceptance		Date	Amount	P-No.	Initials
		Date	Initials				

REQN NO.

ANNEXURE II(B)

UNITED KINGDOM INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1969
CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS ONLY

1. Date of Contract.....Contract No.....Import Licence No.
date.....

2. Description of Product(s) to be supplied to purchaser (Note A)	£ PRICE	U. K. Tariff Classification No. (Note B)	Is the product of U.K. origin? (See Note C) State 'yes' or 'no'

3. Total/Estimated/Contract price payable by Purchaser in Sterling £

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this Certificate, and that the above information is correct.

Signed———————

Position held ———————

Name and Address of Contractor———————

Date———————

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products, most of which are covered by *the appropriate sub-headings* of Chapters 15, 25, 28—35 and 37—40 of the U.K. Tariff.

B. *See* :—

(*i*) H. M. Customs & Excise Tariff H.M.S.O.

(*ii*) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature H.M.S.O.

C. (*i*) A product is regarded as of 'U.K. origin' if made *either* wholly from indigenous U. K. materials *or* according to the appropriate EFTA qualifying processes using imported materials wholly or in part.

(*ii*) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the 'EFTA Compendium for the Use of Exporters', HMSO.

(*iii*) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the " altermative percertage criterion" DOES NOT APPLY.

(*iv*) The words " AREA ORIGIN " where they appear in the above Schedule must be taken to mean " U.K. Origin" only.

(*v*) For the purposes of this declaration the " Basic Materials list " (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(*vi*) If a qualifying process is not listed for the material in question, advice should be sought from Loans Administration Section, Finance Department, Ministry of Overeseas Development, Eland House, Stag Place, London, S.W.1.

D. For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Shannel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Application for Letter of Credit Authorisation

To

The Senior Accounts Officer,
Economic Aid Accounts Section,
Ministry of Finance,
(Department of Economic Affairs),
Jeewan Deep Building,
Parliament Street,
NEW DELHI.

SUBJECT:—Import of———————— from U.K. under U.K./India Capital Investment Loan 1959.

Sir,

In connection with the import of ————————from U.K. against the above U.K. Loan, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you:—

(a) Particulars of Import Licence.

No. & Date	Value (Rs.)	Date upto which valid.

(b) Sterling value of licence.

(Calculated of £1 per Rs. 18).

(c) Sterling value of the orders placed for which authorisation is required specifying the name and address of the U.K. supplier/suppliers and the amount/s of authorisations required separately against each supplier (copy of orders placed and U.K. suppliers' acceptance thereof to be attached).

(d) Name of U.K. Correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

(e) Name of the Indian Bank which has furnished the Bank Guarantee and which will open the Letter of Credit.

The Bank Guarantee furnished by———————————————and which

(Name of Bank)

has been duly adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Stamp Act, 1899, is attached.

Yours faithfully,
(Signature of the Licensee and full address).

ANNEXURE IV

Form of Bank Guarantee

To

The President of India
Through Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Finance
(Deptt. of Economic Affairs),
NEW DELHI.

Sir,

In consideration of the President of India hereinafter referred to as 'the Government' having agreed to arrange for payment in foreign currency of the price of goods to be imported by.

*(i)————————
(ii) ————————
(iii) ————————
(iv) ————————

(Name(s) and Address(es)

individual/partners
working under the name
and style of M/s.———————

*Messrs————a company having its registered office at ———in the State of————————hereinafter referred to as the 'Importers' under Import Licence No. ————dated ————granted for———rupees, we,———hereby guarantee that we shall arrange deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank

of India, New Delhi/State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi or by means of Demand Draft Drawn on and in favour of State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi (for credit to the Central Government account) to be forwarded to the said Tis Hazari Branch.

(i) Within seven days of the receipt of advice of payment with shipping documents, from the U. K. Banks, of rupee equivalent of the invoice price representing the sterling disbursements made by the U. K. Banks under the letter of credit established by us against the letter of credit authorisation issued by Ministry of Finance at the rate of Rs. 18.18 per £1.00 along with interest thereon at six per cent per annum from the date of payment to U. K. suppliers to the date of deposit of rupee equivalent and U. K. Bank charges.

(ii) Within seven days of the demand by the Government of such additional amount as may be demanded by the Government as being due on account of service charges.

2. We,————undertake to pay to the Government on demand and without demure such sum not exceeding————rupees (plus interest and service charges as aforesaid) as may be demanded by the Government in the event of the importers failing or neglecting to make any of the above mentioned said payments the decision of the Government as to such failure or neglect on the part of Importers and as to the amount payable to the Government by us hereunder shall be final and binding on us.

3. We, ————agree and undertake not to release shipping documents to the Importers until after the rupee equivalent as aforesaid and the other dues, if any, as demanded by Government are deposited to the credit of the Government.

4. We,————agree and undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importers or of our Bank.

6. The Government shall have the fullest liberty without affecting this guarantee to vary any of the terms of the Import licence detailed above or to extend the time for payment by the Importers from time to time or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercised by it against the importers and we, ————shall not be released from our liability under this Guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the amount of aforesaid or by reason of any such variation or extension of time being given to the Importers or any forbearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any of the matters or things whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provision have the effect of so releasing us————Bank from our such liability.

Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. ————(plus U.K. Bank charges interest and service charges as aforesaid) and it will remain in force till the————**day of————(Month)————19 . Unless claims under the bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter *i.e.* upto—— all Government's rights under this bond/guarantee shall be forefeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Yours faithfuly,

Place: Signature of the Authorised Officer

Date: of the Bank and Bank's full addresss.

(The Bank Guarantee is to be executed on a non-judicial stamp paper, the value of the stamp being adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Indian Stamp Act, 1899).

*Strike out which is not applicable.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments are expected to be finalised.

ANNEXURE V

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1969
PAYMENT CERTIFICATE

I hereby certify that—

(i) the payments referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No.————————dated———— between the contractor named below and———————— ————————/Purchaser/————————and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on————————.

Contractor's Invoice No	Date	Amount	Short description of goods, marks and/or services.

(ii) The amounts specified in paragraph (i) do not include any additional foreign content to that declared in Paragraphs 5, 6 or 7 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the Contractor named below.

Signature

Position held.....

For and on behalf of.....

Name and Address of Contractor.....

Date.....

NOTE.—For the purpose of this documents introduction included the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE VI

Form of application for release of Bank Guarantee.

To

The Senior Accounts Officer,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
NEW DELHI.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposit made by us in discharge of our obligations under Bank Guarantee No. ————dated ———— for an amount of Rs.————————with the request that the same may be released and returned to us:

1. The name and full address of the importer/Licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.

2. The Import Licence No., date, value and brief description of the commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) for opening Letters of Credit obtained from the Ministry of Finance

(a) Letter No. & date.

(b) Amount of authorisation.

(c) U.K. Loan No.

4. Particulars of Imports and rupee deposits made (to be given separately for each Letter of Credit Authorisation).

(a) Particulars of Letters of Credit opened (No., date value and the suppliers name).

(b) Invoice No. and date relative to each Letter of Credit.

(c) Amount of invoice (net) in sterling.

(d) Amount of rupee deposit.

(e) Relative challan No. & date and the name of Treasury/Bank.

(f) If by demand draft, No. and date of the demand draft and the No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (sterling) in each Letter of Credit Authorisation.

II. We certify that:

(1) *The balance of £————————————available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

OR

no letter of credit was opened under the authorisation(s) and the authorisation(s) lapsed.

OR

the letter(s) of credit opened against the authorisation letter(s) expired unutilised.

and (3) Our obligations under the bank guarantee in question have been duly discharged.

III. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Agent,

*whichever is applicable. for and on behalf of the Bank

ANNEXURE VII

Form of Utilisation Report in respect of.....

UK/India Capital Investment Loans 1969.

(to be furnished separately in respect of each Licence)

1. Name of the Importing Firm.
2. Particulars of U.K. Credit.
3. No. and Date of the Import Licence.
4. Value of the Import Licence.
5. Value of the complete contracting documents forwarded so far to the Ministry of Finance (Please give details of Contract Nos. and value).
6. Value of the Contracts approved by the U.K. Government as notified by the High Commission of India.
7. Payments made to the U.K. Suppliers (Up-to-date).
8. Payments yet to be made in respect of the contracts al-

ready approved.

9. Value of further orders intended to be placed on U.K. Suppliers.

10. Surrenders, if any.

Signature of the authorised Officer of the Importing Firm.

P. K. SAMAL,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 अप्रैल 1971

विषय.—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1969 के लिए लाइसेंस शर्तें (20 लाख खंड पौंड निजी क्षेत्र के लिए और 40 लाख खंड पौंड सरकारी क्षेत्र के लिए)

सं० 37-आई० टी० सी० (पी० एम०)/71.—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1969 (20 लाख खंड पौंड निजी क्षेत्र के लिए और 40 लाख खंड पौंड सरकारी क्षेत्र के लिए) के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के जारी किए जाने के संबंध में लागू होने वाली शर्तें और नियम जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है व व्यवसायी की सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है।

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1969 के लिए लाइसेंस शर्तें

1. सामान्य शर्तें

(1) लाइसेंस का शीर्षक——"यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1969" होगा और आगे यह कि क्या यह पौंड बीस लाख निजी क्षेत्र खंड से अथवा पौंड 40 लाख सार्वजनिक क्षेत्र खंड से संबंधित है (पहले उन मामलों में जिनमें लाइसेंस को निजी क्षेत्र एकक के नाम में निकासी के आधार पर जिसकी सहमति पूंजीगत माल समिति द्वारा ले ली गई थी जारी किया जाता है और बाद में उन मामलों में जिनमें लाइसेंस पूंजीगत माल समिति द्वारा या अन्यथा रूप से विदेशी मुद्रा के आवंटन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र एककों को या केन्द्रीय/रमज्य सरकारों के विभागीय उत्तरदायित्व के नाम में जारी किया जाता है)।

(2) यू०के० बैंक प्रभारों के अतिरिक्त जो सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से प्रेषण किये जा सकते हैं किसी भी विदेशी मुद्रा का प्रेषण आयात लाइसेंस के लिए स्वीकार नहीं होगा। भारत स्थित अभिकर्ताओं का भारतीय अभिकर्ता कमीशन संबंधी भुगतान भारतीय मुद्रा में होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के भुगतान लाइसेंस मूल्य के अन्श होंगे और ये इस लिए लाइसेंस के लिए लिये जाऐंगे।

(3) लाइसेंस 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किये जायेंगे। फर्म आदेश लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा (यदि इस प्रकार की इच्छा सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र उत्तरदायित्वों द्वारा व्यक्त की जाएं तो जहाज पर निःशुल्क या जहाज तक निःशुल्क) के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के चार महीने के भीतर अवश्य दे दिया जाना चाहिए। यदि आदेश वैध कारणों से चार महीनों के भीतर नहीं दिये जा सकते तो लाइसेंस को लाइसेंस देने वाले अधिकारी के पास पांचवें महीने के दौरान जमा कर देना चाहिए। इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश देने में देरी क्यों हुई और यह संकेत कर देना चाहिए कि अगला आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिए जैसी अवधि वृद्धि जरूरी हो इसे भी बता देना चाहिए। जहां जरूरत होगी इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) के साथ परामर्श कर पत्रता के आधार पर विचार किया जायेगा **(इसे ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आदेश देने का काम 4 मास की अवधि या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी माल में बढ़ाई गई स्वीकृत अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तब तक विदेशी मुद्रा देने के प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र की स्थापना करने या समतुल्य रुपये को जमा करने के लिए अनुमति नहीं देंगे।**

(4) लाइसेंस के समाप्ति के बाद एक मास के भीतर सभी प्रकार के भुगतान अवश्य पूरे हो जाने चाहिए। अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोत लदान पर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की साख सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. **आदेशों संविदाओं या अन्यथा रूप में सम्मिलित की जाने वाली विशेष बातों की ध्यान में रखना।**

(1). जब फर्म आदेश/संविदा दी जा रही हो जो कि **केवल यू० के० संभरकों को दी जानी चाहिए** (जिस की अभिव्यक्ति में चेनल आइलैंड तथा आइल आफ मैन शामिल है) लाइसेंसधारी को उसी में दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया यू० के० में उत्पादित अथवा निर्मित है या होंगे। जब इस प्रकार के माल खरीदने से सम्बन्धित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है तो उसमें निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि ऐसे काम तथा सेवाएं साधारणतया यू० के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएंगी। (इसे ध्यान में रखना चाहिए कि संभरक/संविदाकर्त्ता को नीचे के खंड 3 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार एक संविदा प्रमाण-पत्र में संभरित की जाने वाली किसी प्रकार के माल के संबंध में जो गैर यू० के० की है इसका संकेत करते हुए या रसायनिक और सम्बद्ध उत्पादों के मामले में यह घोषणा करते हुए कि वे यू० के० मूल की हैं उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे)। यदि गैर यू० के० माल को संविदा के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक होने की सम्भावना है तो इसकी सूचना अर्थ कार्य विभाग (वरिष्ठ लेखा अधिकारी सहायता लेखा नियंत्रक का कार्यालय जीवन दीप बिल्डिंग 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली') को दे देनी चाहिए और विशेष करके उन मामलों में जिनमें संविदाएं 10,000 पौंड मूल्य की है और इसके लिए यू० के० सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हो, और फर्म बचनबद्धताओं को केवल तभी प्रविष्ट किया जाना चाहिए जबकि अर्थ-कार्य विभाग सहमत हो जाते हैं।

(2.) **उन संविदाओं के मामलों में जिनका मूल्य 10 000 पौंड से अधिक हो**, तो संविदा में इस संबंध में एक वाक्यांश अलग से यह जोड़ देना चाहिए कि संविदा इसके अधीन है और यह केवल यू० के० सरकार के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी।

(3). नीचे के खंड 3 और 5 मे बताई गई प्रत्येक्षन आवश्यकताओं और नीचे के खंड 4 में निर्धारित की गई भुगतान प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें संविदा में उचित रूप से शामिल कर देना चाहिए।

3. संविदा स्वीकृति संविधाओं की सूचना तथा तत्सम्बन्धि संशोधन:

(क) ऐसे मामले जहां संविदा के लिए धन-राशि 10,000 पौंड से अधिक हो।

(1) आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की चार प्रतियां (संलग्न अनुबंध 1 के रूप में) संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (संलग्न अनुबंध 2 अथवा 2 बी के रूप में, जो भी उपयुक्त हो) की 5 प्रतियों के साथ वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें।

(विशेष ध्यान दीजिए कि भुगतान अब तक नहीं हो सकता जब तक कि यू० के० सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदन नहीं प्राप्त हो जाता है, इसलिए लाइसेंसधारी के लिए अच्छी तरह जान लेने की आवश्यकता है कि संविदा/संविदा अधिसूचना की प्रतियां संभरक की संविदा के प्रमाण-पत्रों के साथ वित्त मंत्रालय को प्रारम्भ में ऊपर बताए गए, के अनुसार भेज दी जाती हैं)।

(2) वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रलेखों को भेजते समय लाइसेंस-धारी द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख तथा ऋण का नाम भली भांति लिख दिया गया है।

(3) वित्त मंत्रालय मुख्य लेखाधिकारी, लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से यू० के० ऋण द्वारा की जा रही संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए यू० के० सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उनको प्रलेखों के एक सेट फाइल करने के लिए व्यवस्था करेगा। यू० के० सरकार द्वारा संविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति की प्राप्त के बाद यथाशीघ्र इसकी सूचना मुख्य लेखाधिकारी, लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा वित्त मंत्रालय को परामर्श देते हुए यू० के० संभरकों और साथ ही लाइसेंसधारी को दे दी जाएगी।

(4) यदि किसी समय संविदा (उस संविदा के संबंध में जिसमें यू० के० सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है या प्राप्त करनी है) में संशोधन किया जाता है, या संविदा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि से ज्यादा धन-राशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह तत्संबंधी अनुपूरक या संशोधित प्रलेखों को संविदा के लिए संशोधित प्रतियों को तथा संशोधित 'संविदा प्रमाण-पत्रों को वित्त मंत्रालय को तत्काल भेज दे ताकि वे इसकी सूचना यू०के० सरकार को दे सके जिससे वे उनकी स्वीकृति प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। संविदा। आदेश के लिए जैसे ही संशोधन के लिए यू०के० सरकार से स्वीकृति प्राप्त होती है, तो लाइसेंसधारी और वित्त मंत्रालय को लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा ठीक उसी विधि से जैसे मूल संविदा के लिए है, सूचित कर दिया जाएगा।

(5) यदि, किसी मामले में, विदेशी संभरक के भारतीय, अभिकर्त्ता के साथ संविदा की जाती है, उस यू०के० संभरक के नाम का संकेत इसमें होना चाहिए जिसकी संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस ऋण के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा। ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उनसे संविदाओं की प्रतियां जो यू०के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई है, यदि इस प्रकार की पृथक् संविदांएं हों) भेज दिया जाना चाहिए।

(ख) उन मामलों में जिसमें संविदाएं 10,000 पौंड मूल्य से अधिक की हैं:

इस प्रकार की संविदाओं के लिए यू०के० सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (अनुबंध दो या अनुबंध 2 बी में निर्धारित किये गये के अनुसार जो संदर्भ है, उस रूप में) की 5 प्रतियों के साथ संविदा की या संविदा अधिसूचना (अनुबन्ध एक) की 4 प्रतियां वरिष्ठ लेखाधीकारी, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज देना चाहिए।

(4) यू के संभरकों के लिए भुगतान साख-पत्र प्रक्रिया

(1) (क) जहां पर संविदा के मूल्य 10,000 पौंड (और इसलिए संविदा के सम्बंध मे यू०के० सरकार से अनुमोदन लेने की जरुरत नहीं होती) तक होता है तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह यू०के० संभरकों के नाम मे यू०के० से सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में, भारत में किसी मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण-पत्र हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, अर्थ कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामैंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आवेदन करना चाहिए।

(ख) जहां पर संविदा का मूल्य 10,000 पौंड से अधिक होता है, तो लाइसेंसधारी को उपर्युक्त विधि के अनुसार प्राधिकरण-पत्र के लिए वित्त मंत्रालय (अर्थ-कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा) को सिफारिश करनी चाहिए और वह केवल तब जब कि लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग द्वारा यू०के० सरकार द्वारा संविदा के लिए दी गई स्वीकृति से अवगत करा दिया गया हो।

'ए' और 'बी' दोनों मामलों में, प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन पत्र अनुबंध 3 में दिय गये प्रपत्र के रुप में होना चाहिए और वह आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए तथा उसमें एक प्रतिशत जो भारत में विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत व्यापारी से प्राप्य है उसे जोड़ कर बैंक गारन्टी (अनुबंध 4 में दिये गये प्रपत्र के रुप में) के साथ होना चाहिए। प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन पत्र लाइसंसधारी द्वारा वरिष्ट लेखाधिकारी, आर्थिक सहायता लेखा, वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई विल्ली को सम्बोधित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी.—सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं से बैंक गारन्टि लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के मामलों में भारत के किसी भी स्टेट बैंक की शाखा के माध्यम से साख-पत्र खोला जायगा।

(2) अगर आवेदन पत्र सही पाया जाता है, तो वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य-विभाग आयातक और सम्बधं भारतीय मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक को अपेक्षित धन-राशि के लिए प्राधिकरण जारी करेगा। वित्त मंत्रालय सम्बंधित यू०के० बैंक और मुख्य लेखाधिकारी भारत का उच्चायोग, लन्दन को भी उपयुक्त परामर्श देगा। लेकिन यू० के० बैंक के लिए परामर्श उनके प्राधिकरण पत्र की प्रति के साथ भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को भेज दिया जायेगा, और उन्हें चाहिए कि वे साख-पत्र खोलते समय इसे यू०के० बैंक को प्रेषित कर दें।

(3) प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए) के जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर साख पत्र खोल दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्राधिकरण समाप्त हो जायेगा। साख पत्र में उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, नीचे के खंड 5 में उल्लिखित सभी प्रलेखों के प्रस्तुतिकरण के बाद संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, भुगतान के बाद प्रलेखों के प्रेषण करने से सम्बन्धित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए, और इसे इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि यू० के० में सम्बद्ध बैंक लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को प्रारम्भिक रूप मे उनकी अपनी निधि से भुगतान करने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति मुख्य लेखाधिकारी, भारत का उच्चायोग, लन्दन के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया लन्दन से प्राप्त करेगा। साख पत्र खोलने से संबंधित भारतीय मुद्रा बैंक के अनुदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये प्राधिकरण के पूर्णतया अनुरूप अवश्य होने चाहिए। किसी भी हालत में इसमें असंगति नहीं होनी चाहिए।

(4) साख पत्र मे ऋण शीर्षक को तथा यू० के० प्राधिकरणों, की संविदा अनुमोदन संख्या, जिन मामलों में इस प्रकार के अनुमोदन की अपेक्षा होती है, भली-भांति अंकित कर देना चाहिए।

5. प्रलेखन

(1). यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि यू० के० संभरक भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय यू० के० बैंक के लिए नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है।

1. चार फोटो प्रतियां या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक। (बीजक में आयातक का नाम और पता ; संभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण ; सभी व्यापार छूटों को प्रति बिम्बित करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय कीमत ; वितरण का आधार (जहाज पर निःशुल्क लागत भाड़ा लागत बीमा भाड़ा और जहाज तक निःशुल्क और किसी प्रकार की आनुषंगिक सेवाएं जिस में वितरण या नौसेना या परिवहन बीमा सेवाएं शामिल हैं; उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाना चाहिए)।
2. महासागर या चार्टर-पार्टी लदान-पत्र की एक प्रति (या फोटोस्टेट) या वायुमार्ग बिल या डाक पारसल रसीद। (लदान पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इन खर्चों का भुगतान किसी मुद्रा में किया गया हो)।

3. अनुबंध 5 मे दिये गये प्रपत्र में भुगतान प्रमाणपत्र की चार प्रतियां [एसी संविदाओं के सम्बंध में इन की आवश्यकता नहीं जिनके लिये अनबंध 2(बी) में दिये गये प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण पत्र (रासायनिक) की पूर्ति की गई है]। इस उद्देश्य के लिए, संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय पूर्ण करने के लिए, निर्धारित प्रपत्र मे भुगतान प्रमाण-पत्र के पांच खाली प्रपत्र के साथ संलग्न करने चाहिए।

प्रत्येक दस्तावेज में, ऋण संख्या, आयात लाइसेंस का विस्तृत ब्यौरा और यदि संभव हो, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख पत्र प्राधिकरण के विवरण का प्रदर्शन अवश्य होना चाहिये।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यू० के० संभरको द्वारा उपर्युक्त दस्तावजीकरण की आवश्यकताएं नोट कर ली गई हैं और उन का अनुपालन किया गया है, भारत मे प्राधिकृत मुद्रा विनिमय बैंक, साख पत्र खोलते समय , आयात की ओर से साख पत्र में आवश्यक शर्तें समाविष्ट करने का ध्यान रखेगा ।

(3) यू० के० संभरक को भुगतान हो जाने के बाद, यू० के० में व्यवसायी बैंक दस्तावेजो के मूल विनिमय सैंट को हवाई डाक द्वारा सम्बद्ध भारतीय बैंक को भेजेगा (भारतीय बैंक यू०के० सरकार को बैंक प्रभार प्रेषित करेगा और उसकी अदायगी आयातक से करेगा) । इसके साथ ही साथ, यू० के० बैंक मुख्य लेखा अधिकारी, भारतीय उच्चायोग लन्दन से अपने द्वारा संभरकों को चुकाई गई धनराशि की प्रतिपूर्ति का दावा करेगा और इस उद्देश्य के लिये संभरकों से प्राप्त बीजकों को तथा जहां आवश्यक हो, अनुबन्ध 5 के अनुसार भुगतान प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करेगा । मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक लन्दन के माध्यम से यू० के० बैंक को भुगतानों की व्यवस्था करेगा ।

6. रुपया निक्षेप के लिए भारतीय बैंक के उत्तरदायित्व

(1) यू० के० सम्बद्ध बैंक से प्राप्त जहाज लदान प्रलेखों के साथ भुगतान के परामर्श की पावती के सात दिनों के भीतर भारतीय सम्बद्ध बैंक आयातक से 18 रुपये 18 पैसे प्रति पौंड [नीचे की कंडिका (5) देखिए] की दर से आयात लागत के लिए रुपये में वसूल करेगा, और उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सूद भी वसूल करेगा जो यू० के० बैंक द्वारा यू० के० संभरकों को दिए गए भुगतान की तारीख से लेकर निक्षेप किए गए सम-मुल्य रुपये की तारीख तक के लिए होगा ।

(2) उपर उल्लिखित धनराशि भारतीय बैंक द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया दिल्ली में भारत सरकार के साख मे निक्षेप किया जाना चाहिए या यदि यह संभव नहीं हो तो स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली के नाम में निकालने के लिए दर्शनी हुंडी साधनों द्वारा प्रेषण किया जाना चाहिए। इसके बाद बीजक/पोत लदान प्रलेखों तथा उस विमान का वह प्राधिकरण जो सौदे से सम्बन्धित है उन के संदर्भों का उल्लेख कर तथा उनकी प्रतियां संलग्न कर निक्षेप करने का साक्ष्यांकन करते हुए राज-कोष चालान रजिस्ट्री डाक द्वारा वरिष्ठ लेखाधिकारी वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग,

आर्थिक सहायता, लेखा शाखा, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज दिया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने पर भारतीय सम्बद्ध बैंक सेवाओं से सम्बन्धित अतिरिक्त खर्चों की ऐसी राशि को भी जो सरकार द्वारा मांगी जाए, उसको जमा कराने की व्यवस्था उसी तरीके से करेगा । लाइसेंस धारी को भी यह चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 184 —आई टीसी (पी एन) /68 दिनांक 30—8—68 के अनुबंध दो में शामिल किए गए 'ऐम' प्रपत्र की दो प्रतियां को भरें, और उसे उक्त सार्वजनिक सूचना में निहित प्रक्रिया के अनुसार रुपया जमा करने के लिए व्यवस्था करते समय अपने बैंक को प्रस्तुत करे।

(3) सूद प्रभार को शामिल करते हुए वह राशि जो भारत सरकार के खाते में जमा की जानी है, वह इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराई जाएगी "सेक्शन टी—डिपोजिट एण्ड एडवान्सेज पार्ट 2— डिपोजिट—डिपोजिस्ट नाट बियरिंग इन्टरेस्ट—(सी) अदर डिपोजिट एकाउन्ट्स —सिविल डिपोजिट्स —डिपोजिट्स फार परचेजिस एब्राड फ्रोम यू० के०—परचेजेज अन्डर यू० के० लोन—परचेज अन्डर दी यू० के० /इन्डिया कैपिटल इन्वैस्टमेन्ट लोन, 1969" और महा लेखा पाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को लेखाधिकारी के रूप में दिखाया जायेगा जो इन साखों को समायोजित करेगा ।

(4) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये बैंक गारन्टी और साख पत्र प्राधिकरण की शर्तों के अन्तर्गत दायित्वों को पूरे किये जाने के बाद सम्बन्धित भारतीय बैंक वरिष्ठ लेखाधिकारी, अर्थ कार्य लेखा शाखा विस मंत्रालय अर्थ कार्य विभाग को बैंक गारन्टी के बेटन के लिए आवेदन कर सकता है । आवेदन पत्र सम्बन्धित भारतीय बैंक (आयातक द्वारा नहीं) भेजा जाना चाहिए और उसे अनुबंध 6 में निर्धारित प्रपत्र के रूप में होना चाहिए ।

उपर्युक्त मुद्रा वर अर्थात् 1 पौंड = 18.18 रुपये पूर्व प्रचलित भिली-जुली "मुद्रा-वर है और इस में किसी प्रकार के परिवर्तन होने के स्थिति में भारत सरकार द्वारा जब और जैसा निश्चित किया जायेगा उसे, अधिसूचित कर दिया जाएगा ।

7. आपात लाइसेंस के प्रयोग किये जाने के संबंध में रिपोर्ट :—

अनुबंध 7 में सम्बद्ध प्रपत्र के रूप में लाइसेंस के उपयोग किये जाने की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की पन्द्रह तारीख को वित्त मंत्रालय अर्थ कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, नई दिल्ली को तथा औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग, विदेशी मुद्रा विनिमय साख अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भी भेजनी चाहिए।

8. विविध अनुदेश

(1) **यू० के० संभरकों से धन—वापसी** लाइसेंसधारी द्वारा यदि किसी प्रकार की राशि यू० के० संभरक अथवा गारन्टीकर्ता (बीमा कम्पनी आदि) से वापसी के रूप में या बीमा दावे की व्यवस्था के रूप में अथवा अन्यथा रूप से प्राप्त की जाती है, तो ऐसी राशि संभरक द्वारा यू० के० में संबंधित बैंक को (जिसके द्वारा प्रारम्भ में संभरक को भुगतान किया गया था) **इन अनुदेशों के साथ वापसी की जानी चाहिए कि वे इस राशि को शीघ्र ही सी० ए० ओ० भारत के उच्चायोग लन्दन की ऋण लेखे में साख करने के लिए वापसी करें।** इस प्रकार जमा की गई ऋण राशि के पश्चात्, आयतक को रूपये में समतुल्य राशि वापिस करने की व्यवस्था आयातक द्वारा दावे की

एक रसीद प्रस्तुत करने पर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी । यदि ऋण के समाप्त होने के पश्चात् कोई वापसी प्राप्त होती है तो उसे संभरक द्वारा आयातक को सीधे ही अदा कर दिया जाएगा ।

जब कभी इस प्रकार की वापसी प्राप्त होती है तो उसकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) विदेशी मुद्रा अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।

(2) **विशेष शर्तों के अधिसूचित किए जाने वाले संभरक**:—यदि आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्तें हों तो जो कि संभरक पर सौदे का पालन करने में प्रभाव डालें, तो लाइसेंस धारी को चाहिए कि संभरक को इन से अवगत कराएं ।

(3) **विवाद**:—यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंस धारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो भारत सरकार किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

(4) **भविष्य के लिए अनुदेश** :—आयात लाइसेंस या इस से संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा ऋण करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का तुरन्त पालन करेगा ।

(5) **उल्लंघन या अतिक्रमण** :—उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी ।

(9) **शीर्षकों के अनुसार अनुबंधों की सूची** :—

अनुबंध —1	संभरण की अधिसूचना ।
अनुबंध—2	संविदा प्रमाण-पत्र ।
अनुबंध 2 (बी)	संविदा प्रमाण पत्र (रासायनिक) ।
अनुबंध 3	साख-पत्र प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप ।
अनुबंध—4	बैंक गारन्टी का प्रारूप ।
अनुबंध—5	भुगतान प्रमाण-पत्र ।
अनुबंध —6	गारन्टी के बंटन करने से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप ।
अनुबंध —7	आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उसका उपयोग किए जाने के संबंध में मासिक रिपोर्ट ।

अनुबन्ध –1

यू० के० / भारत पूंजी निवेश ऋण, 1969

संविदा की अधिसूचना

यू० के० /भारत

सेवा में,

यू० के० सरकार

संविदा की अधिसूचना सं०

संविदा का विवरण निम्नलिखित है जिसके अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा

1. यू० के० संविदाकर्ता का नाम तथा पता
2. संविदा का दिनांक
3. भारतीय खरीददार का नाम
4. माल का संक्षिप्त ब्यौरा तथा /अथवा कार्य अथवा सेवाएं
5. संविदा का मूल्य
6. भुगतान की शर्तें

भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षरित

दिनांक ——————————

अनुबन्ध—2

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1969

संविदा प्रमाण-पत्र

अधिसूचना सं० : परिशोधित

ओ० डी० एम०

स्वीकृति संख्या

(रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए आगे के पृष्ठ पर के वैकल्पिक "प्रमाण—पत्र" का उपयोग कीजिए)

संविदा के ब्यौरे

1. संविदा की तिथि..... 2. संविदा सं०.....

3. खरीदार को दिए जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण.....

.....

यदि कई मदों की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाण—पत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए।

4. क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत—बीमा—भाड़ा, लागत तथा भाड़ा या जहाज पर पर निःशुल्क का उल्लेख कीजिए)

पौंड.....

यदि माल का संभरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खंडों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

यदि संविदाकर्ता केवल निर्यातक अभिकर्ता है, तो मांगी गई सूचना निर्माण कर्ता से प्राप्त करनी चाहिए।

5. जो माल यू० के० मूल का नहीं है, परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है, तो जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत; जैसे आयातित कच्चे माल या निर्माण के लिए उपयोग किए गए संघटकों का प्रतिशत

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य.....

(ख) मदों का विवरण तथा संक्षिप्त विशिष्टिकरण.....

6. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल या संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे ताम्बा, अदरक, कपास, लकड़ी, लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा के लिए इन की खरीद यू० के० में की गई है तो इनका उल्लेख करें।

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण.....

यदि सेवाएं प्रदान की जानी हैं, तो निम्नलिखित खंडों की पूर्ति की जानी चाहिए।

7. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीदार के देश में निष्पादित सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं :—

(क) आप की फर्म (स्थल, अभियान्त खर्च आदि)

(ख) स्थानीय संविदाकर्ता

8. उपर्युक्त कंडिका 5, 6 या 7 के संबंध में जैसा आवश्यक हो, टिप्पणी दें

.....

9 मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिख संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मझे प्राप्त है। मैं एतद्द्वारा यह जिम्मदारी लेता हूं कि उपयुक्त कंडिका 5, 6, 7, तथा 8 में विशिष्टिकृत को छोड़ कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल के नहीं हैं, संविदा के निष्पादन मे संभरण नहीं किया गया है ।

टिप्पणी:—इस घोषणा के लिए यू०के० दि मैतल आइलैण्ड और आइल्ज आफ मन को शामिल करता है।

संविदाकर्ताओं को नोट कर लेना चाहिए कि माल का निर्माण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसकी स्वीकृति को अधिसूचित नहीं कर दिया गया है।

(10,000 पौंड तक के मूल्य तक की संविदाओं के लिए लागू नहीं हैं)।

हस्ताक्षरित

पद जिस पर वह है

संविदाकर्ता का नाम और पता

.....

दिनांक

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

परियोजना का नाम अथवा संख्या

भुगतान

.....

वचन बद्ध राशि प्रविष्ट की तारीख स्वीकृति दिनांक राशि पी० ए सं० अद्याक्षर

.....

दिनांक अद्याक्षर

अनुबंध -(बी)

अधिसूचना सं०

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1969

केवल रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए संविदा प्रमाण-पत्र

1 संविदा की तिथि संविदा सं० आयात लाइसेंस सं० ...दिनांक....

.....

खरीदार को संभरण किये जाने वाले उत्पाद (दों) का विवरण (टिप्पणी ए)	यू० के० दर–सूची पौंड मूल्य वर्गीकरण सं० (टिप्पणी बी)	क्या उत्पाद यू०के० मूल का है? (टिप्पणी सी देखिए) हां या नहीं लिखिए
.....		
.....		
.....		
.....		

3. खरीदार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल/अनुमानित/संविदा कीमत स्टरलिंग में..... पौंड

4. (घोषणा) मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त हैं और उपर्युक्त सूचना सही है।

हस्ताक्षरित.....

दिनांक..... पद जिस पर हैं.....

संविदाकर्ता का नाम और पता.....

.....

टिप्पणी

ए. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रसायन तथा सम्बंधित उत्पादों के लिए किया जाना है जिन में अधिकतर को यू० के० दर सूची के अध्याय 15, 25, 28, 35 तथा 37–40 के उपयुक्त उपशीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है।

बी. देखिए

(1) एच० एस० कस्टम तथा एक्साईज टेरिफ एच० एम० एस० ओ०

(2) ब्रेसल्स नामावली एन० एम० एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण

सी. (1) यदि उत्पाद पूर्णतया यू० के० देसी माल से तैयार किया गया है तो वह उत्पाद यू० के० मूल का समझा जाता है अथवा उपयक्त ई एफ टी ए विशेषक विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अंशतः आयातित माल प्रयोग किया जाता है।

(2) एच एम एस ओ निर्यातकों के प्रयोग के लिए ई एफ टी ए विशेषक विधि, ई एफ टी ए सार-संग्रह के सूचक 1 में बताई गई है।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाना है कि विकल्पी प्रतिशत निकर्ष लागू नहीं होता है।

(4) उपर्युक्त सूचक में जहां कहीं शब्द "क्षेत्र मूल" आते हैं उनका तात्पर्य केवल "यू० के० मूल" से है।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए 'मूल माल की सूची' (इ एफ टी ए सार संग्रह का सूचक–3) लागू नहीं होता है।

(6) यदि विषयाधीन माल के लिए विशेषक विधि सूचिबद्ध नहीं है तो समुद्र सार विकास मंत्रालय, वित्त विभाग, ऋण प्रशासन शाखा, इलैन्ड हाउस, स्टेग प्लेस, लन्दन एस० डब्ल्यू आई० से सलाह ले लेनी चाहिए।

जी. इस घोषणा के लिए यू० के० चैनल आइलैण्ड तथा आईल आफ मैन को शामिल करता है।

अनुबन्ध 3

(साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र)

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
अर्थकार्य सहायता लेखा शाखा,
वित्त मंत्रालय,
जीवन दीप बिल्डिंग,
पार्लियामेन्ट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-1.

विषय:– यू०के०/भारत---------- के अन्तर्गत यू० के० मे ----------का आयात।

महोदय,

उपर्युक्त यू० के० ऋण के लिए यू० के० से----------का आयात करने के सम्बंध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं, जिससे आप हमें हमारे बैंकरों के माध्यम से आप के द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण जारी करने में समर्थ हो सकें:—

(क) आयात लाइसेंस का विवरण संख्या और तारीख	मूल्य (रुपयों में)	तिथि जब तक वह वैध है।

(ख) लाइसेंस का स्टर्लिंग में मूल्य
(प्रति पौंड 18 रुपये की दर से परिकलित)

(ग) यू० के० संभरक/संभरकों का नाम और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिसके लिए प्राधिकरण की जरुरत है और प्रत्येक संभरक के लिए (दिए गए आदेश और उसके लिए यू० के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जानी है) अलग अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धन राशि/राशियां ।

(घ) संबद्ध यू० के० बैंक का नाम जिस में साख-पत्र स्थापित किया जाना है ।

(ङ) उस भारतीय बैंक का नाम जिस ने बैंक गारन्टी दी है और जो साख पत्र खोलेगा ।

स्टेम्प एक्ट, 1899 की धारा 31 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार कलक्टर द्वारा विधिवत् न्याय निर्णीत बैंक गारन्टी जो----------द्वारा प्रस्तुत की गई है, संलग्न है ।

बैंक का नाम

भवदीय,
(लाइसेंस-धारी के हस्ताक्षर तथा पूरा पता) ।

अनुबंध 4

बैंक गारन्टी का प्रपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति, द्वारा
सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय, (अर्थकार्य विभाग),
नई दिल्ली

भारत के राष्ट्रपति के विमर्श से जिसे आगे सरकार के रुप में निर्दिष्ट किया गया, निम्नलिखित द्वारा आयात किए जाने वाले माल की कीमत का विदेशी मुद्रा मे भुगतान करने की व्यवस्था करने को सहमत हैं ।

(i) ---------- फर्म का नाम तथा किस्म जिसके
(ii) ---------- अधीन व्यक्ति/भागीदार काम कर रहा है।
(iii) ----------
(iv) ----------
(नाम और पते)

सर्वश्री----------कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय ----------राज्य ----------में है, जिन्हें बाद में आयात लाइसेंस सं०----------दिनांक----------के अन्तर्गत आयातकों' के रुप में उल्लेख किया गया और----------

रुपये स्वीकृत किए गए हम----------इसके द्वारा गारन्टी देते हैं कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली / स्टेट बैंक आफ इन्डिया दिल्ली, तीस हजारी शाखा दिल्ली अथवा स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली के नाम दर्शनी हुंडी द्वारा (केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा करने के लिए, जो उक्त तीस हजारी शाखा के लिए प्रेषित किया जाना है), सरकार के खाते में जमा करने की व्यवस्था करेंगे ।

(i) यू० के० बैंक से पोत परिवहन दस्तावेजों के साथ भुगतान की सूचना की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर, वित्त मंत्रालय से जारी किए गए सांख-पत्र प्राधिकरण जिसकी दर प्रति पौंड 18.18 रुपये हैं हमारे द्वारा स्थापित साख-पत्र के अन्तर्गत यू० के० बैंक द्वारा स्टर्लिंग में किए गए भुगतान को दर्शाते हुए बीजक कीमत के संतुल्य रुपये में भुगतान को और उस पर यू० के० संभरक को भुगतान की तारीख से संतुल्य रुपये जमा करने की तिथि तक 6 प्रतिशत ब्याज और यू० के० बैंक प्रभारों के साथ जमा किया जाएगा ।

(ii) सेवा-प्रभार के लिए बकाया रहने वाली रकम जैसा कि सरकार द्वारा उसकी मांग की जा सकती है इस प्रकार की अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा मांग किए जाने के सात दिनों के भीतर जमा करेंगे ।

2. हम----------मांग करने पर तथा बिना किसी आपत्ति के सरकार को ऐसी धन-राशि चुकाने का वचन देते हैं जो----------रुपये (+ ब्याज तथा सेवा प्रभार जैसा पहले कहा गया है) से अधिक न हो तथा जो धनराशि आयातकों द्वारा उपर्युक्त किसी प्रकार के भुगतान करने में असफल रहने पर अथवा उपेक्षा करने पर सरकार द्वारा मांगी जा सकती है और आयातकों की ऐसी असफलता या उपेक्षा पर सरकार जो भी धनराशि हम से वसूल करने का निर्णय करेगी वह अन्तिम होगा और हमारे लिए अनिवार्य होगा ।

3. हम----------सहमत हैं और वचन देते हैं कि आयातकों को तब तक जहाज लदान दस्तावेज मुक्त नहीं करेंगे जब तक कि सरकार द्वारा मांगा गया यथा पूर्वोक्त तुल्य रुपया तथा अन्य बकाया, आदि यदि कोई हो, सरकार के खाते में जमा नहीं कर दिये जाएंगें ।

4. हम----------सहमत हैं और वचन देते हैं कि इस गारन्टी को इसके लागू होने के दौरान सरकार की लिखित रुप में पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे ।

5. इसमें निहित गारन्टी, आयातकों अथवा हमारे बैंक के विधान में होने वाले किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी ।

6. सरकार को इस गारन्टी को प्रभावित किये बिना उपर्युक्त निर्दिष्ट आयात लाइसेंस की शर्तों में कोई परिवर्तन करने या समय-समय पर आयातकों द्वारा भुगतान करने की अवधि में वृद्धि करने या इसके द्वारा किसी समय तथा समय-समय पर आयातकों के प्रति प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और इस गारन्टी में पूर्वोक्त धन-राशि के संदर्भ में सरकार द्वारा कोई भी अधिकार प्रयोग करने की स्वतंत्रता के कारण अथवा आयातकों को दिये जाने वाले समय में परिवर्तन या वृद्धि के कारण अथवा सरकार की ओर से किसी प्रतिबंध अधिनियम या छूट अथवा सरकार द्वारा आयातकों पर किसी प्रकार

क्षमा अथवा कोई भी मामला या वस्तु जो कि कानून के अनुसार प्रतिभूतियों से सम्बंधित हो इस परंतुक के लिए, हमारे———————(बैंक का नाम) दायित्वों पर कोई भी प्रभाव डाले बिना हमें———————हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा ।

इस बौंड/गारन्टी के अन्तर्गत हमारा दायित्व———————रुपये (यू० के० बैंक प्रभार ब्याज तथा सेवा प्रभार जैसा कि ऊपर बताया गया है) के लिए प्रतिबंधित है और यह तिथि——— मास———————197 तक क्रियान्वित रहेगा । जब तक बौंड/गारन्टी के अन्तर्गत इस तिथि के 6 मास के भीतर लिखित रुप में दावे नहीं कर लिए जाते और इसके बाद जैसे——— ———————तक अगले 6 माह के भीतर जब तक इन दावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता या कोई कारवाई नहीं की जाती उक्त बौंड/गारन्टी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और इसमें निहित सारे दायित्वों से छुटकारा पा जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे ।

भवदीय,

स्थान: बैंक के प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक:— के हस्ताक्षर और बैंक का पूरा पता

(बैंक गारन्टी एक न्यायकेतर स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जानी है, स्टाम्प का मूल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 की शर्तों के अनुसार समाहर्ता द्वारा निर्णीत किया जायेगा) ।

*जो लागू न हो उस को काट दीजिए ।

**जिस तिथि तक सभी भुगतान पूर्ण हो जाने की आशा है उस तिथि में 1 मास जोड़ कर यह तिथि गिनी जाएगी ।

अनुबन्ध 5

यू० के०/भारत पूँजी निवेश ऋण 1969

भुगतान प्रमाण पत्र

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि

1. नीचे सूची बद्ध किए गए बीजक में उल्लिखित भुगतान, वह या, उसकी प्रतियां इस भुगतान प्रमाण–पत्र के साथ लगी हैं, बाकी है या नीचे लिखे गए संविदाकर्ता और ——————— ———————खरीदार———————के बीच संविदा संख्या——————— ———————तारीख———————के सम्बन्ध में बाकी पूरे किए जाने वाले हैं, और संविदा प्रमाण–पत्र के अन्तर्गत अधिसूचित इस संविदा के विवरण के अनुसार हैं जो तारीख ———————के उक्त संविदाकर्ता के नाम पर हस्ताक्षरित है ।

संविदाकर्ता के बीजक की संख्या	तारीख	धनराशि पो०	माल कार्य और / या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

2. कंडिका 1 में जो धन-राशियां विशिष्टकृत की गई हैं वे संविदा प्रमाण–पत्र की कंडिका 5, 6 अथवा 7 में बताई गई के लिए किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नहीं करती हैं ।

3. नीचे लिखे संविदाकर्ता के नाम पर इस प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है।

हस्ताक्षरित————————————

पद जिस पर वह है————————————

————————————के लिए और के

संविदाकर्ता का नाम और पता————————————

————————————

तारीख————————————

टिप्पणी :–इस घोषणा के लिए यू० के०, चैनल आफ आइल्ज और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबन्ध 6

गारन्टी युक्त कराने के लिए आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
वित्त मंत्रालय,
अर्थ कार्य विभाग,
जीवन दीप बिल्डिंग
पार्लियामेंट स्ट्रीट
नई दिल्ली ।

महोदय,

हम गारन्टी सं०————————————दिनांक————————राशि रूपये ————————————के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो रुपए जमा किए थे उनका विस्तृत ब्यौरा नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि इसे मुक्त करके हमें वापिस किया जाए ।

1. आयातक/लाइसेंस-धारी जिनके नाम में गारन्टी दी गई थी, उनका नाम तथा पूरा पता ।

2. आयात लाइसेंस सं०, दिनांक मूल्य और इसके अन्तर्गत आयात के लिए स्वीकृत की गई मदों का संक्षिप्त विवरण ।

3. साख–पत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए हुए प्राधिकरण (णों) का ब्यौरा ।

 (क) पत्र सं० तथा दिनांक

 (ख) प्राधिकरण–पत्र की राशि

 (ग) यू० के० ऋण सं०

4. किए गए रुपये निक्षेपों का तथा आयातों का विवरण (प्रत्येक सात प्राधिकरण–पत्र के लिए अलग रूप से दिया जाना है।)

(क) खोले गए साख पत्रों का ब्यौरा (सं०, दिनांक, मूल्य तथा संभरक का नाम)

(ख) बीजक सं० तथा प्रत्येक साख–पत्र के लिए सम्बन्धित तारीख

(ग) बीजक की स्टर्लिंग में (वास्तविक) राशि

(घ) रुपए में जमा की गई राशि

(ङ) संबंधित चालान सं० तथा दिनांक और राजकोष / बैंक का नाम

(च) यदि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा है तो डिमांड ड्राफ्ट की सं० तथा दिनांक और जिस पत्र के साथ, डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया को भेजा गया था, उसकी संख्या ।

5. प्रत्येक साख प्राधिकरण–पत्र की कितनी राशि प्रयोग की जा चुकी है और कितनी प्रयोग नहीं की गई (स्टर्लिंग में)

ii. हम प्रमाणित करते है कि:—

(1) *वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण–पत्र (पत्रों) में उपलब्ध शेष———— ————————पौंड राशि का प्रयोग नहीं किया गया है / प्रयोग नहीं किया जाएगा

अथवा

प्राधिकरण पत्र के अन्तर्गत कोई साख–पत्र नहीं खोला गया का और प्राधिकरण–पत्र (पत्रों) समाप्त हो गए हैं।

अथवा

प्राधिकरण पत्र के लिए साख–पत्र (पत्रों) खोले गए थे और बिना प्रयोग किए समाप्त हो गए थे / और (3) अपेक्षित गारन्टी के अन्तर्गत हमारे दायित्व विधिवत पूर्ण किए जा चुके हैं।

iii. हम अनुरोध करते हैं कि गारन्टी मुक्त की जाए और रद्द करने के लिए हमें वापिस की जाए।

भवदीय,

*जो भी लागू हो।

बैंक के लिये और उनकी तरफ से

प्राधिकृत अभिकर्ता

अनुबन्ध 7

यू० के० भारत पूंजी निवेश ऋण, 1969 के सम्बन्ध में उपयोग किये जाने की रिपोर्ट का प्रपत्र

(प्रत्येक लाइसेंस के सम्बन्ध में अलग से भेजा जाना है)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम।
2. यू० के० माल का विवरण
3. आयात लाइसेंस की सं० और तिथि
4. आयात लाइसेंस का मूल्य।
5. वित्त मंत्रालय को अब तक पूरी संविदा प्रलेखों का जो मूल्य भेजा गया है (कृपया संविद की संख्याओं और मूल्य का ब्यौरा दीजिए।)
6. यू० के० सरकार द्वारा स्वीकृत संविदाओं का मूल्य जैसा कि भारत के उच्चायोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
7. यू० के० संभरक को किए गए भुगतान (अब तक)।
8. पहले से ही स्वीकृत हो चुकी संविदाओं के संबन्ध में अभी तक किए जाने वाले भुगतान।
9. यू० के० संभरकों को और आगे दिए जाने वाले आदेशों का मूल्य।
10. अभ्यपर्ण यदि कोई हो।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर

पी० के० समाल,
मख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971